राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमाक आईडीएसपी / 2019 / 1711 दिनाक 18/3/19

समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषय— मौसमी बिमारियो की रोकथाम हेतु वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के क्रम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मौसमी बिमारियो यथा मलेरिया, डेगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाईफस, स्वाईन फ्लू व जल जनित बिमारियो हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के क्रमे आपको निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च मे निम्न लिखित गतिविधिया सपादित करते हुए वार्षिक कार्य योजना बनाना सुनिश्चित करे.—

1 **कन्ट्रोल रूम की स्थापना**—जिले मे कन्ट्रोल रूम की स्थापना करे जो की 24*7 कार्य करे, कन्ट्रोल रूम के नम्बर सभी को उपलब्ध करवाये।

2 **रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन**—जिला, खण्ड व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक आरआरटी टीम का गठन करे तथा उनके नाम, पता, मोबाईल नम्बर जिला स्तर पर उपलब्ध कराये। आरआरटी टीम हेतु आवश्यक दवाईया, उपकरण व वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

3. **आईडीएसपी सैल का सुदृढ़ीकरण**—जिले मे कार्यरत आईडीएसपी सेल क्रियाशील बनाते हुए नियमित रूप से खण्ड स्तर से प्राप्त सूचनाओ का विश्लेषण करते हुए प्राप्त सूचनाओ को समय पर निदेशालय को अग्रेसित करना।

4 **उच्च जोखिम वाले खण्ड व क्षेत्रों की पहचान करना**— उच्च जोखिम वाले खण्ड व क्षेत्रो की पहचान करने हेतु विगत तीन वषो के प्रभावित क्षेत्र/रोगो से मृत्यु वाले क्षेत्र व एण्टोमोलोजिकल/सीरोलोजिकल सर्विलेस के आधार पर जोखिम वाले क्षेत्रो की पहचान करे।

5 **सर्वे दल का गठन**—घर—घर सर्वे कार्य हेतु अभी से दल के सदस्यो को चिन्हित करे यथा एएनएम,आशा, नर्सिग विद्यार्थि व अन्य को सुचना एकत्रित करवाये व सर्वे कार्य हेतु प्रशिक्षण की कार्य योजना बनाये।

6 **व्यवसायिक/शैक्षिणक स्थलों की सूचना**—जिले मे संस्थावार स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, मॉल, कार्यालय व निर्माणाधीन क्षेत्र इत्यादि की सूचना का संकलन करते हुए कार्य योजना मे समावेश करे।

7 **आउट रीच कैम्प** —अलग—अलग कार्यक्रमो एनसीडी/अरबन हेतु आयोजन किये जाने वाले कैम्प को सम्मलित करते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों में आउट रीच कैम्प लगाये जाने की कार्य योजना तैयार करे, इसी प्रकार मेडिकल मोबाईल ईकाई के माध्यम से लगाये जाने वाले कैम्पो का आयोजन भी जोखिम वाले क्षेत्रो में कराया जाये।

8 **आईईसी**— मौसमी बिमारियो नियत्रण/रोकथाम व बचाव किये जाने वाली आईईसी गतिविधिया हेतु जोखिम क्षेत्र अनुसार एवं सस्थ अनुसार किये जाने वाले आईईसी गतिविधिया की जिले व खण्ड के अनुरूप कार्य योजना तैयार करे।

9 **पल्स ओक्सीमीटर**— स्वाईन फ्लू के सभावित रोगी की पहचान करने हेतु पल्स ओक्सीमीटर उपयोगी है। अत सभी चिकित्सा सस्थानो पर पल्स ओक्सीमीटर की सुनिश्चितता करे।

10 **क्लोरोस्कोप**—पानी के नमुनों की जाच हेतु सभी चिकित्सा संस्थानो पर क्लोरोस्कोप की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

11 **दवाईयों की उपलब्धता**—सभी चिकित्सा सस्थानो पर आवश्यक दवाईयो (पैरासीटामोल, क्लोरोक्यिन, एजिथ्रोमाईसिन,डोक्सीसाईक्लिन, एसीटी किट, टेमिफ्लू, क्लोरिन की गोलिया, ओआरएस, आईवी फ्लुड व अन्य आवश्यक दवाईयां आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

12 **स्वास्थ्य शिक्षा**— स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, मॉल, कार्यालय व अन्य सार्वजनिक स्थानो पर मौसमी बिमारियो से सबधित जानकारी प्रदान करने हेतु प्रत्येक चिकित्सा सस्थान पर प्रशिक्षण दल के सदस्यो को चिन्हित करते हुए दल का गठन करे। उक्त दल अपने कार्य क्षेत्र मे स्वास्थ्य शिक्षा (हैण्डवास,व्यक्तिगत सुरक्षा, लार्वा का प्रदर्शन व अन्य) हेतु कार्य करेगे।

13 **आरबीएसके टीम**— राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम से सबंधित सदस्यो को उनके कार्य क्षेत्र मे आने वाले स्कुलो व आंगनबाडी केन्द्रो पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेगे साथ ही जोखिम वाले व्यक्तियो को बिमारियो से बचाव के लिए सवेदनशील करेगें।

14 **सर्विलेंस**—जिले मे कार्यरत्त एण्टोमोलाजिस्ट, वीबीडी कन्सलटेन्ट, एपीडेमियोलोजिस्ट व अन्य के द्वारा हाई रिस्क क्षेत्र मे वैक्टर/एण्टोमोलोजिकल/सीरोजोजिकल सर्विलेस का कार्य करने हेतु कार्य

योजना बनाई जाये तथा प्राप्त सूचनाओ का विशलेषण करते हुए इसके अनुरूम गतिविधिया सपादित की जावे।

15 **फोगिंग माईक्रोप्लान**–स्थानीय निकाय (नगर पालिका, नगर निगम, पचायत समिति, ग्राम पचायत) से समन्वय स्थापित करते हुए जोखिन वाले क्षेत्रो मे फोगिग कार्य का माईक्रोप्लान।

16 **एण्टीलार्वल गतिविधिया**–एण्टीलार्वल गतिविधिया हेतु आवश्यक ससाधन यथा टेमीफोस, बीटीआई,एमएलओ,गम्बुसीया व अन्य की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियमित रूप से एण्टीलार्वल गतिविधिया करना सुनिश्चित कराये।

17. **ड्राई डे**–हर रविवार सुखा दिवस मनाने हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य योजना का निमार्ण कराये।

18 **अर्न्तविभागिय समन्वय**–मौसमी बिमारियो के बचाव व रोकथाम हेतु अर्न्तविभागिय सनन्यव स्थापित करते हुए अन्य विभागो से लिए जाने वाले आवश्यक सहयोग हेतु बैठक का आयोजन करते हुए उनके उत्तरदायित्यो से अवगत कराये।

19 **हाई रिस्क ग्रुप को संवेदनशील बनाना**–गर्भवती महिला, छोटे बच्चे, अस्थमा, टी.बी शुगर, कैन्सर व अन्य गभीर रोगो से ग्रसित रोगियो को ओपीडी मे, एमसीएचएन दिवस, प्रधानमत्री सुरक्षित मातृ दिवस, एनसीडी क्लीनिक, टी.बी क्लीनिक, कैन्सर क्लीनिक, हिमोडायलसिस केन्द्र व अन्य तथा घर–घर सर्वे इत्यादि के माध्यम से हाई रिस्क ग्रुप को मौसमी बिमारियो विशेष तौर पर स्वाईन फ्लू के लक्षणो व उपचार की जानकारी प्रदान करे साथ ही जिले मे पद स्थापित नोडल अधिकारी (एनसीडी, टी बी., कैन्सर, आशा) शिशु रोग विशेषज्ञ, आरसीएचओ व आरबीएसके टीम के साथ नियमित रूप से बैठक आयोजित करते हुए उनके माध्यम से हाई रिस्क ग्रुम को सतत् निगरानी मे रखा जाये।

20 **प्रशिक्षण कार्यक्रम**–मौसमी बिमारियों के लक्षण/उपचार/बचाव से संबधित जानकरी प्रदान करने हेतु जिले मे कार्यरत चिकित्सको/नर्सिग कर्मियो/प्रसाविका/आशाओ को विडियो कॉफ्रेसिग/कार्यशाला/बैठक/सेक्टर बैठक इत्यादि के माध्यम से नियमित रूप से जानकरी प्रदान करे।

21 **जनसहयोग**– स्थानीय स्वयं सेवक, एनजीओ, एनसीसी, स्काउट गाइड व अन्य की उपलब्धता सुनिश्चित करते उनका भी इस कार्य मे सहयोग लिया जाये।

22 **निजि चिकित्सक**–जिले में कार्यरत निजि चिकित्सालयों/चिकित्सको को मौसमी बिमारियो से सबधित दिशा–निर्देश, नियम (नोटिफाईबल अधिनियम) इत्यादि की जानकारी प्रदान करते हुए पालना कराना सुनिश्चित करावे। साथ ही उनकी संस्था से भी रोगियो की सूचना नियमित रूप से जिलो को प्राप्त होने की सुनिश्चिता की जाये।

23 **संसाधन व बजट का मांगपत्र**–जिलो को आवश्यक बजट राशि, ससाधनो, दवाईया, उपकरण व अन्य की आवश्यकता का आकलन करते हुए मागपत्र दिनांक 28.03.2019 तक निदेशालय की ई मेल आई डी rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर भिजवाना सुनिश्चित करे।

18/3/19

सलंग्न–मागपत्र।

निदेशक (जन.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमाक आई डी एस पी /2019/।711 दिनाक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एव मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3 निजी सचिव, निदेशक (जनस्वास्थ्य)/आरसीएच/एड्स, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये राज0, जयपुर।
4 सयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0) एव नोडल अधिकारी (आईडीएसपी), मुख्यालय।
5. राज्य क्षय रोग अधिकारी, मुख्यालय।
6 समस्त परियोजना निदेशक, मुख्यालय।
7. समस्त सयुक्त निदेशक, राजस्थान।
8 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को भेजकर लेख है कि वे भी अपनी सस्था मे उपरोक्त गतिविधिया सपादित कराना सुनिश्चित करे।
9 प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई–मेल करने वास्ते। वेबसाईट पर अपलोड करने।
10 रक्षित पत्रावली।

18/3/19

निदेशक (जन.स्वा.)

S.No.	Item	Availability	Requirment
1	Oseltamivir 30 Mg		
2	Oseltamivir 75 Mg		
3	Oseltamivir 45 Mg		
4	Azithromycin		
5	Doxycycline		
6	Chloroqnine		
7	Primoquine		
8	ACT		
9	Temephose		
10	Pyrethrum		
11	BTI		
12	Fogging Machine		Working
13	Ganesh Pump		Working